न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — अजयकुमार आर्य, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 05 / 2022

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय बी विंग, आहुरा सेन्टर,दूसरी मंजील, महाकाली केव्ज रोड़, अन्धेरी ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. रामकिशन शर्मा जाति ब्राहमण आयु 53 वर्ष, हाल आबाद नवलगढ पदेन ए.वी.पी. (लैंड व लाईजन) **—प्रार्थी**

—बनाम—

1. अनिता पुत्री शारदराम
2. अनिल पुत्र सारदाराम
3. उर्मिला पुत्री शारदाराम
4. कोशल्यादेवी पत्नी सारदाराम
5. गुलाबी पुत्री फूलाराम
6. गिरधारीलाल पुत्र लिछमण
7. गोपाल पुत्र रामनाथ
8. गोरा पुत्री फूलाराम
9. घीसाराम पुत्र सेवाराम
10. ताराचन्द पुत्र फूलाराम
11. दडकी पत्नी फूलाराम
12. प्रभात पुत्र रामनाथ
13. प्रहलाद पुत्र लिछमण
14. बन्शीधर पुत्र नन्दाराम
15. बोदूराम पुत्र नन्दाराम
16. भानाराम पुत्र कुशला
17. भानी पुत्री नन्दाराम
18. मूंगाराम पुत्र नन्दाराम
19. महेशकुमार दत्तक पुत्र [illegible]
20. महावीर पुत्र नन्दाराम
21. राजेश पुत्र भागीरथमल
22. रामा पुत्री फूलाराम
23. सजना पुत्री फूलाराम
24. सुभिता पुत्री शारदाराम
25. सुरेन्द्र पुत्र भागीरथमल

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

26. सांवरमल पुत्र लिछमण, समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम बसावा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
27. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा झाझड़।
28. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा।
29. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा झाझड़।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री अश्विनी कुमार महर्षि अधिवक्ता.....प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 30 की ओर से।

–निर्णय–

दिनांक 24.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार खान ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.12(35)खान/ग्रुप–2/2005/ दिनांक 22.11.2007 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 46.151 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त मंशा पत्र (Letter of Intent) राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है उक्त मंशा पत्र (Letter of Intent) वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। मंशा पत्र के अनुसार प्रार्थी को ग्राम बसावा तहसील नवलगढ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से भूमि अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रकियाधीन है। ग्राम बसावा के खसरा संख्या 548 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 549 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 550 रकबा 2.3600 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 553 रकबा 1.6000 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 554 रकबा 2.4700 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 565 रकबा 1.2600 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 566 रकबा 3.6500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 कुल रकबा 11.4000 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 26 तक का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात 11.4000 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। क्षतिपूर्ति मुआवजा/मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच/मुआवजा क्षतिपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि– प्रार्थी कम्पनी एक सीमेन्ट उत्पाद निर्माण कमपनी है। प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार खान ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.12(35)खान/ग्रुप–2/2005/ दिनांक 22.11.2007 के आदेश द्वारा के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 46.151 वर्ग कि.मी. भूमि खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध मे समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। मंशा पत्र (Letter of Intent) के अनुसार प्रार्थी को ग्राम बसावा तहसील नवलगढ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक् पृथक है के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु ...ीन है। ग्राम बसावा के खसरा संख्या 548 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 549 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 550 रकबा 2.3600 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 553 रकबा 1.6000 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 554 रकबा 2.4700 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 565 रकबा 1.2600 हैक्टेयर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त ...
झुंझुनूं

बारानी–1, खसरा संख्या 566 रकबा 3.6500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 कुल रकबा 11.4000 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 26 तक का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात 11.4000 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण संख्या–1 से लगायत 26 बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि उक्त भूमि प्रार्थी को खान एंव भू विज्ञान विभाग राजस्थान सरकार खान ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.12(35)खान/ग्रुप–2/2005/ दिनांक 22.11.2007 के आदेश द्वारा खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में 46.151 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। खनन पटटा प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध मे समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी ईकाई के माईनिंग लीज क्षेत्र ग्राम बसावा के खसरा संख्या 548 रकबा 0.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 549 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 550 रकबा 2.3600 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 553 रकबा 1.6000 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: Self Attested

संख्या 554 रकबा 2.4700 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 565 रकबा 1.2600 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, खसरा संख्या 566 रकबा 3.6500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 कुल रकबा 11.4000 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 26 तक का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात 11.4000 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, जो लीज क्षेत्र में आयी हुई है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल. सी. दर 7,56,000/–रुपये प्रति हैक्टेयर होती है, तथा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 15 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नवलगढ की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ पौधो की संख्या एवं कीमत अंकित की गई है। खनन एवं समनुषंगी कार्यो हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारो का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकिती ऐसे व्यक्तियो को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रंमाक पं.1 (3) राज–6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति मे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हैक्टयर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नही होते है। भूमि अवाप्ति के सम्बंध मे नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिंनाक 01 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नही किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानो के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारको को प्रतिकर के बारे मे उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना की किस प्रकार की जा[illegible] क्रमवार उल्लेख किया गया है। एवं उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 2 के अनुसार [illegible] वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2 जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी [illegible]रित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, क्रम संख्[illegible] में भूमि से जुडी हुई सम्पत्तियों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: Self Attested

निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 मे तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 15 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित राजस्व (ग्रुप–6) विभाग अधिसूचना क्रंमाक पं.1(3) राज–6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.16 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूची के प्रावधानो के अनुसार पेड़ पौधो व संपति की कीमत को जोडा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु खनन पटटा 50 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसके खनन कार्य व सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिए खातेदार अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण खातेदारान को निम्न सारणी के अनुसार गणना कर किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 26 तक खातेदार का हिस्सा निम्नानुसार हैः– अनिता पुत्री शारदराम हिस्सा 1/840 अनिल पुत्र सारदाराम हिस्सा 1/840 उर्मिला पुत्री शारदाराम हिस्सा 1/840 कोशल्यादेवी पत्नी सारदाराम हिस्सा 1/840 गुलाबी पुत्री फूलाराम हिस्सा 1/168, गिरधारीलाल पुत्र लिछमण हिस्सा 1/24, गोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24 गोरा पुत्री फूलाराम हिस्सा 1/168, घीसाराम पुत्र सेवाराम हिस्सा 1/3, ताराचन्द पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/168, दडकी पत्नी फूलाराम हिस्सा 1/168, प्रभात पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24, प्रहलाद पुत्र लिछमण हिस्सा 1/24, बन्शीधर पुत्र नन्दाराम हिस्सा 1/120, बोदूराम पुत्र नन्दाराम हिस्सा 1/120, भानाराम पुत्र कुशला हिस्सा 1/6, भानी पुत्री नन्दाराम हिस्सा 1/120, मूंगाराम पुत्र नन्दाराम हिस्सा 1/120, महेशकुमार दत्तक पुत्र दानाराम हिस्सा 1/6, महावीर पुत्र नन्दाराम हिस्सा 1/120, राजेश पुत्र भागीरथमल हिस्सा 1/48, रामा पुत्री फूलाराम हिस्सा 1/168, सजना पुत्री फूलाराम हिस्सा 1/168, सुभिता पुत्री शारदाराम हिस्सा 1/840, सुरेन्द्र पुत्र भागीरथमल हिस्सा 1/48, सांवरमल पुत्र लिछमण हिस्सा 1/24 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रं. सं.	खातेदार का नाम जिसका विवरण जमाबंदी में अंकित है	खसरा नं.	रकबा जिसका प्रतिकर निर्धारण किया जाना	भूमि किस्म	डी.एल. सी.दर प्रति हैक्टेयर	राशि (कालम संख्या 3X5)	नगर पालिका से दूरीकिमी मे व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 X 8) रु.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उपरोक्तानुसार	548	0.0500 हैक्टेयर	बारानी –2	756000	37800	15	1.50	56700
		549	0.0100 हैक्टेयर	बारानी –2	756000	7560	15	1.50	11340
		550	2.3600 हैक्टेयर	बारानी –1,2	756000	1784160	15	1.50	2676240
		553	1.6000 हैक्टेयर	बारानी –1	756000	1209600	15	1.50	1814400
		554	2.4700 हैक्टेयर	बारानी –1,2	756000	1867320	15	1.50	2800980
		565	1.2600 हैक्टेयर	बारानी –1	756000	952560	15	1.50	1428840
		566	3.6500 हैक्टेयर	बारानी –1,2	756000	2759400	15	1.50	4139100
B	योग	7	11.4000						12927600
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ो की मालियत								434000
D	अन्य संरचना (धोरा एवं तारबन्दी वगैरा) निर्माण								21000000
E	योग (कॉलम संख्या B+C+D)								34361600
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)								34361600
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E+F)								68723200

अतः आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि के पुर्णाक राशि रुपये 6,87,23,200/– (अ[illegible] सत्तासी लाख तेईस हजार दो सौ रुपये मात्र) अप्रार्थी के न[illegible]वलगढ को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। **तहसीलदार नवलगढ उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त यदि भूमि बैंक के रहन है तो बैंक से बकाया ऋण जमा का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

के पश्चात ही सम्बन्धित खातेदार को हिस्से के अनुरुप मुआवजा राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, अंकित की जावें। उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशो, लीज डीड व विभागीय परिपत्रो के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग के सबंधित खनन कार्य व समनुषंगी कार्यो (subsidiary purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार नवलगढ/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

(अजयकुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(अजयकुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested